

## **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**





### (MASTER PLAN SECTION) **PUBLIC NOTICE**

The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan-2021 / Zonal Development Plan Zone P-I (Narela Sub-city) under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of thirty (30) days from the date of this Public Notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address in addition to telephone no./contact number (s)/E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

Place: New Delhi

Location	Area	Land use as per MPD-2021 & ZDP of Zone-P-I	Land use Changed to	Boundaries
CRPF Campus above	7,847.97	Public &	Recreational	North: CRPF Land
UER-I (80 M RoW	sq.m.	Semi Public		South: Green Buffer along
Road) and adjacent	(1.94			UER-I (80 M wide Road)
to Western Yamuna	acres)			East : CRPF Land West : Western Yamuna
Canal	approx.			Canal

The text / plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Delhi Development Authority, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days within the period referred above. The text / plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023. Sd/-

File No; PLG/MP/0046/2022/F-20/-O/o Dy Director (PLG) MP AND DC Dated: 01.07.2023

D. Sarkar Commissioner-cum-Secretary **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY** 

Follow us on Official dda Oddaofficial Official dda Official dda or Dial Toll Free No. 1800-110332



# दिल्ली विकास प्राधिकरण





## (मुख्य योजना अनुभाग)

**सार्वजनिक सूचना** दिल्ली विकास प्राधिकरण / केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11—क के अंतर्गत मुख्य योजना—2021 / क्षेत्रीय विकास योजना जोन पी—। (नरेला उप—नगर) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतददवारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो / कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति / सुझाव इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के अदर आयक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपित करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर / ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

#### प्रस्तावित संशोधन :

Availar and the						
अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना— 2021 एवं जोन पी—I की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग		सीमाएँ		
सीआरपीएफ केंपस	7,847.97	सार्वजनिक	मनोरंजनात्मक	<b>उत्तर :</b> सीआरपीएफ भूमि		
यूईआर–। के साथ (80	वर्ग मीटर			<b>दक्षिण :</b> यूईआर-। (८० मीटर		
मीटर मार्गाधिकार संड़क)	(लगभग	अर्ध—सार्वजनिक		चौड़ी सडकें) के साथ ग्रीन बफर		
और पश्चिमी यमुना	1.94			पूर्व : सीआरपीएफ भूमि पश्चिम : पश्चिमी यमुना नहर		
नहर के निकटवर्ती	एकड़)			<b>पश्चिम :</b> पश्चिमी यमुना नहर		

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ / नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्यक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छँडी मजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ / नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023 पर भी उपलब्ध है। फाइल सं. प्लानिंग / एमपी / 0046 / 2022 / एफ-20 / -ओ / ओ डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग)एमपी एंड ढीसी डी. सरकार दिनाक: 01.07.2023 आयुक्त एवं सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिल्ली विकास प्राधिकरण

हमें 🏵 official\_dda 🛈 ddaofficial 🥯 official\_dda 😕 Official\_dda पर फॉलो करें या टो<u>ल फ्री नं 1800110332</u> डॉयल करें

